

## CERTIFICATE – 2 (प्रमाण पत्र—2)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (UPBC/GDBC)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री  
श्री ..... निवासी ग्राम .....

तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की  
..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों ।  
अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची – 1 के अन्तर्गत  
मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... उक्त  
अधिनियम 1994 की अनुसूची –2 (अधिसूचना संख्या –22/16/92—का 02/1995 टी० सी० दिनांक  
8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के  
ग्राम ..... श्री/श्रीमती/कुमारी ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

स्थान

मोहर

जिला अधिकारी / अतिरिक्त जिला अधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार